भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 490

06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

किफायती आवासों की कीमत

490. श्री सेल्वाराज वी.:
श्री सुब्बारायण के.:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र में नवीन प्रवृत्ति से अवगत है, जहां डेवलपर्स दिल्ली एनसीआर, मुंबई आदि जैसे मेट्रो शहरों में प्रीमियम, लक्जरी और अल्ट्रा-लक्जरी अपार्टमेंट के लिए अधिक इच्छुक हैं, जबकि 40-80 लाख रुपये के बीच की कीमत वाले किफायती आवासों की संख्या घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) साधारण लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किफायती घरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। मांगी गई जानकारी इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार ने सामान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किफायती आवासों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे कि निर्माणाधीन किफायती आवास परियोजना पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बिना माल और सेवा कर (जीएसटी) 8 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करना, किफायती आवास को अवसंरचना की सुसमन्वित सूची में शामिल करके इसे अवसंरचना का दर्जा देना तथा देशभर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को आधारभूत सुविधाओं से संपन्न पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का शुभारंभ करना। पीएमएवाई-यू 1.0 के अंतर्गत

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर अब तक कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.50 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 90.25 लाख आवास पूरे हो गए हैं तथा लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन के 9 वर्षों के अनुभवों से सीख लेते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना में सुधार करते हुए देशभर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन 01.09.2024 से शुरू की है, ताकि एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थी किफायती लागत पर आवास बना, खरीद और किराए पर ले सकें। इसके अलावा, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 6 लाख से अधिक आवासों के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

******